# न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या: 99/2018/अपील/एल.आर.एक्ट/कोटा
दायरा दिनांक: 29.11.2018
अन्तर्गत धारा: 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

**उनवान**

1. सहायक अभियंता सिंचाई विभाग सी.ए.डी. इटावा जिला कोटा–राज0।

...अपीलार्थी

**बनाम**

1. दुल्हे सिंह पुत्र स्व. श्री चंदन सिंह
2. नन्द सिंह पुत्र स्व. श्री चंदन सिंह
3. भंवर सिंह पुत्र स्व. श्री गोविंद सिंह
4. मानसिंह पुत्र स्व. श्री गोविंद सिंह
5. हंसराज पुत्र स्व. श्री गोविंद सिंह
6. गोपाल सिंह पुत्र स्व. श्री गोविंद सिंह
   निवासीगण बम्बूलिया खुर्द तहसील पीपल्दा जिला कोटा
7. फुलकंवर बाई पत्नी मोहनसिंह
   जाति राजपूत निवासीगण बम्बूलिया खुर्द तहसील पीपल्दा जिला कोटा हाल इन्द्रगढ जिला बूंदी।

..रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री अनिल शर्मा अभिभाषक अपीलार्थी
श्री भारत सिंह अडसेला अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

## निर्णय

दिनांक 21.5.2019

अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 2/2017 प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट बउनवान दुल्हेसिंह वगेरा बनाम राज्य सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा आदि मे पारित निर्णय/आदेश दिनांक 23.6.2017 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से व्यथित होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 मे इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा द्वारा प्रार्थीगण दुल्हेसिंह वगेरा के प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट को स्वीकार कर प्रार्थीगण के कमी रकबे 0.71 है0 की पूर्ति ग्राम बरनाहाली तहसील पीपल्दा जिला कोटा के ख0 नं0 197 रकबा 2.50 है0 मे से की जाकर प्रार्थीगण के खाते हाल ख0 नं0 193 रकबा 2.82 है0 मे 0.40 है0 तथा ख0 नं0 194 रकबा 2.10 है0 मे रकबा 0.31 है0 बढाकर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करने का जेरअपील निर्णय दिनांक 23.6.2017 पारित किया गया जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी सहायक अभियंता सिंचाई विभाग सी.ए.डी. इटावा द्वारा राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 एलआरएक्ट अन्तर्गत अपील न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व लोक अदालत केम्प ढीपरी चम्बल मे एक तरफा सुनवाई कर निर्णित कर दिया। प्रकरण सुनवाई हेतु केम्प मे रखे जाने बावत लिखित मे कोई सूचना नही दी गई ना ही आलौच्य निर्णय मे पक्षकार की उपस्थिति अंकित की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा के निर्णय दिनांक 11.3.2015 मे दिये गये रिमांड निर्देशो की पालना नही की गई। पक्षकार बनाये जाने वाले प्रार्थना पत्र पर कोई निर्णय पारित नही किया जबकि दोनो पृथक पृथक कार्यवाहियो को संयोजित कर विधि सम्मत एवं तथ्यात्मक निर्णय पारित किये जाने का निर्देश

दिया गया था इस प्रकार रिमांड निर्देशो की पालना नही किये जाने तथा रिमांड निर्देशों के पश्चात कोई रेवेन्यू रिकार्ड के दस्तावेज का अवलोकन किये बिना ही तहसीलदार पीपल्दा की रिपोर्ट को आधार मानकर ही निर्णय पारित कर दिया जो अपास्त किये जाने योग्य है। तहसीलदार पीपल्दा द्वारा खसरा नम्बरान के रकबे की वास्तविक पैमाईश रिपोर्ट पेश नही की गई अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 द्वारा अपने अपने प्रार्थना पत्र मे अपने खसरा नम्बर का रकबा कम किये जाने के संबध मे अन्य पक्षकारो के खसरा से भी रकबा कम किये जाने का उल्लेख किया गया था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने जानबूझकर अपीलांट के खसरा का ही रकबा कम किया जो पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्यो को नजर अदांज कर पारित किया गया। धारा 136 एजआरएक्ट मे स्पष्ट प्रावधान है कि दोनो पक्षकारों की सहमति के आधार पर ही इन्द्राज दुरूस्त किये जाने का प्रावधान निहित है। प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलांट द्वारा कोई सहमति प्रदान नही की गई है अतः जेरअपील निर्णय एलआरएक्ट मे निहित प्रावधानो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। केम्प कोर्ट मे पारित निर्णय की जानकारी 30.10.18 को होने पर निर्णय की नकल प्राप्त की तथा उच्चतर अधिकारियो से सम्पर्क कर अपील विलम्ब अवधि क्षम्य हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ अपील पेश की गई है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्याया0 का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराया तथा कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी इटावा द्वारा बिना अपीलांट को नोटिस/सूचना दिये प्रकरण को लोक अदालत ढीपरी मे रख जेरअपील निर्णय पारित कर त्रुटि की है। आलौच्य निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 11.3.2015 को दिये रिमांड निर्देशों की पालना नही की। पक्षकार बनाये जाने के प्रार्थना पत्र का निस्तारण नही किया तथा ना ही रिमांड निर्देशो की पालना मे रिकार्ड एवं दस्तावेज का अवलोकन किया। बहस मे बताया कि धारा 136 एलआरएक्ट मे दोनो पक्षकारों की सहमति से ही इन्द्राज दुरूस्त किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय मे उक्त तथ्यों का अभाव रहा है तथा सरकारी भूमि मे से रकबा कम कर दिया गया। अन्त मे प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का स्वीकार कर अपील को अवधि मध्य मानते हुये अपील अपीलांट स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस मे बताया कि रेस्पो0 की आराजी कम दर्ज करने के संबध मे विवाद सन् 1988 से चला आ रहा है। रेस्पो0 की आराजी का 0.79 है0 रकबा राजस्व रेकार्ड मे सेटलमेंट विभाग द्वारा कम दर्ज किया गया। मौके पर भूमि/रकबा पूरा है। सेटलमेंट से पहले जहां भूमि पर काबिज थे आज भी वहीं काबिज काश्त है। रेस्पो0 ने वर्ष 1998 मे इन्द्राज दुरूस्ती बावत रेगूलर वाद दूल्हेसिंह बनाम सरकार पेश किया था जिसको दिनांक 29.4.91 को डिक्री किया गया। तथा दिनांक 2.6.94 को संशोधित डिक्री जारी की गई। दिनांक 16.9.95 को तहसीलदार पीपल्दा ने रकबा कमी पूर्ति के संबध मे रिपोर्ट पेश की। दिनांक 24.2.07 को पालना संभव नही होने से इजराय को खारिज किया गया। निर्णय के विरूद्ध अपील आरएए मे की गई आरएए ने दिनांक 16.8.07 को पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देकर निर्णय मे दिये गये निर्देशो के तहत पुनः निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड किया गया। उक्त निर्णय के परिपेक्ष्य मे अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण सं0 48/07 प्रार्थना पत्र धारा 136 को निर्णय दिनांक 28.2.12 से खारिज कर दिये जाने उपरांत अपीलांट द्वारा उक्त निर्णय के विरूद्ध माननीय न्याया0 एडीसी कोर्ट मे अपील सं0 46/12 पेश की गई जिसमे पारित निर्णय दिनांक 11.3.2015 अनुसार प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये पुनः विधिसम्मत एवं तथ्यात्मक निर्णय पारित करने हेतु रिमांड किया गया। उक्त रिमांड निर्देशों की पालना मे सभी को पार्टी बनाकर पक्षकारान को सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का विधिवत अवसर प्रदान किया गया है जिसकी पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे धारा 136 एलआरएक्ट की कार्यवाही मे सहायक अभियंता जरिये सिंचाई विभाग उपखण्ड इटावा द्वारा प्रस्तुत जवाब (पेज 20 पर संलग्न) से होती है जिसमे कमी रकबे पर नहर होने से नहर मे से कोई पूर्ति नही की जा सकती वर्णित किया गया है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल ख0 नं0 76 मि0 रकबा 38 बीघा 12 बिस्वा के नये ख0 नं0 193, 194, 203, 204 कायम किये गये है इसके अलावा ख0 नं0 76 मे 5 बीघा 4 बिस्वा नहर का रकबा है। ऐसी स्थिति मे अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील गलत तथ्यो पर आधारित होने से खारिज योग्य है। अन्त मे अपील खारिज करने का अनुरोध किया।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। अपीलांट द्वारा अपील मियाद बाहर पेश की है अतः प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर विचार करने से पूर्व मियाद के बिन्दू का निस्तारण करना न्यायोचित है। आदेशिका के अवलोकन से प्रकरण मे निर्णय राजस्व लोक अदालत केम्प ढीपरी चम्बल मे दिनांक 23.6.2017 को अपीलांट की अनुपस्थिति मे पारित किया है। जिसकी जानकारी 30.10.18 को होना वर्णित करते हुये डिले कन्डोन हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है जिसका रेस्पो0 द्वारा खण्डन नही किया गया ना ही शपथ पत्र के खण्डन मे कोई प्रतियुत्तर ही पेश किया गया। ऐसी स्थिति मे अपीलांट द्वारा शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है। लिहाजा अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से न्यायहित मे क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6 पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे आदेशिका 23.6.17 के अवलोकन से प्रकट होता है कि पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प ढीपरी चम्बल मे पेश की जाकर प्रस्तुत दस्तावेजो एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट का अवलोकन कर गुणावगुण के आधार पर लोक अदालत की भावना से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है। उक्त आदेशिका के अवलोकन से प्रकट होता है कि आदेशिका मे पक्षकारान की उपस्थिति बावत कोई उल्लेख नही किया गया है ना ही निर्णय मे पक्षकारान की उपस्थिति का अंकन है। पत्रावली की आदेशिका दिनांक 18.4.2017 को प्रकरण मे दिनांक 29.5.17 नियत की गई है किन्तु 29.5.2017 की आदेशिका नही लिखी गई तथा ना ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे लोक अदालत केम्प ढीपरी मे प्रकरण रखें जाने संबधी तथ्यों का भी उल्लेख नही है। पक्षकारान को केम्प कोर्ट ढीपरी चम्बल मे उपस्थित होने बावत नोटिस/सूचना पत्र भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे मौजूद नही है। उक्त विधिक प्रक्रिया अमल मे लाये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को लोक अदालत केम्प ढीपरी चम्बल मे दिनांक 23.6.2017 को रख कर निर्णित किया जाना प्रकट होता है। ऐसी स्थिति मे अपीलांट के इस कथन की पुष्टि हो जाती है कि अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील निर्णय पक्षकारान को सूचना/नोटिस दिये बिना तथा सुनवाई का विधिवत अवसर प्रदान किये बिना ही प्रकरण केम्प कोर्ट मे रख कर एक पक्षीय रूप से आलौच्य निर्णय दिनांक 23.6.2017 पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। जहॉ तक प्रकरण राजस्व केम्प/लोक अदालत मे निर्णित करने का प्रश्न है लोक अदालत मे प्रकरण को पक्षकारान की सहमति के आधार पर ही विधिक प्रक्रिया अमल मे लायी जाकर विधि अनुसार निर्णित किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय के जैरअपील आदेश दिनांक 23.6.17 मे उक्त तथ्यों का अभाव रहा है। अतः उक्त तथ्यो के परिपेक्ष्य मे अधीनस्थ न्यायालय के आलौच्य निर्णय को न्यायोचित नही ठहराया जा सकता। परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर जेरअपील आदेश दिनांक 23.6.2017 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया जाता है कि प्रकरण मे पक्षकारान को सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का विधिवत अवसर प्रदान कर इस न्यायालय द्वारा पूर्व मे पारित निर्णय दिनांक 11.3.2015 मे दिये गये रिमांड निर्देशो की पालना मे पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख/राजस्व रिकार्ड का समुचित परीक्षण कर पुनः विधिसम्मत एवं तथ्यात्मक निर्णय पारित करे।

7 निर्णय आज दिनांक 21.5..2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

( प्रियंका गोस्वामी )
अति0संभागीय आयुक्त
कोटा